

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, उदयपुर

पार्थी : श्री नन्दलाल

बनाम

विपक्षी : श्री रामलाल व अन्य

केसम् मुकदमा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 122/21

क्रमांक कार्यवाही विवरण

दिनांक : 16.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित हैं। समय साय 5:00 PM हो चुका है। अतः वादी मय अधिवक्ता वादी के अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

